निबंधित / ईमेल / फैक्स

पत्रांक:– 14 / व 3–133 / 99 – 465
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

उपसचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तत संस्थान, पटना
2. अपर वित्त आयुक्त
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना
4. अपर आयुक्त–सह–सचिव, शिक्षा विभाग
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग
6. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया

पटना, दिनांक 30.03.2016

विषय:– ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना कर्मियों एवं पदाधिकारियों के नियुक्ति की जांच एवं सेवा शर्त निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1736 दिनांक 15.10.2007 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 31.03.2016 को अपराहन 3:00 बजे विभागीय सभागार कक्ष में आहूत की गयी है, जिसमें ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक संस्थान, पटना के कर्मियों / पदाधिकारियों की नियुक्ति की जांच एवं सेवा शर्त निर्धारण पर निर्णय लिया जाना है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 31.03.2016 को अपराहन 3:00 बजे निर्धारित बैठक में ससमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। ज्ञात हो कि मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना से संबंधित है, जो वर्षो से लम्बित है।

<u>अनुलग्क:– अधिसूचना संख्या–1736 दिनांक 15.10.07 की छायाप्रति</u>

विश्वासभाजन,

30/3/16

सरकार के उपसचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

(537)

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

1736 सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-- 13417/

संख्या-14/व 3-0133/99 मा०सं०............ बनाम राज्य

ल०ना० ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान कर्मचारी संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 7.05.2002 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में निहित आदेशानुसार एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए बिहार प्राइवेट शिक्षा संस्था (अधिग्रहण) अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 1/1987) की धारा 06 की उपधारा-2 से 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पदाधिकारी तथा कर्मचारी को उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार सरकारी सेवा में लिये जाने एवं तत्संबंधी सेवाशर्तों के बिन्दु पर जाँच कर अनुशंसा करने के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों की एक समिति गठित करने हेतु नई अधिसूचना निर्गत की जाती है:--

(1) निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना-- अध्यक्ष एवं संयोजक ।

(2) अपर वित्त आयुक्त-- सदस्य ।

(3) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार-सदस्य ।

(4) अपर आयुक्त-सह--सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग-सदस्य ।

(5) कुलपति, मगध विश्वविद्यालय बोधगया-सदस्य ।

(6) निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग-सदस्य ।

(7) उपसचिव, मानव संसाधन विकास विभाग-समिति के सचिव ।

2. यह समिति प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के जीवनवृत्त की जाँच कर यह निर्धारित करेगी कि इन व्यक्तियों की नियुक्तियाँ/प्रोन्नति/संपुष्टि/विश्वविद्यालय विनियमन/सरकारी नियम, निदेशों एवं परिपत्रों के आधार पर हुई है तथा उन्हें सरकारी सेवा में लिये जाने की उपयुक्तता है या नहीं । समिति इन व्यक्तियों की पंक्ति, वेतन भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण/ पुनर्निर्धारण करने के संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंसा करेगी ।

3. उपर्युक्त वर्णित न्यायादेश की अपेक्षानुसार समिति इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजीव कुमार सिन्हा)

अपर आयुक्त-सह-सचिव

ज्ञापांक 14 / व 3-0133 / 99 मा0सं0 1736 दिनांक 15/10/07

प्रतिलिपि:- अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,गुलजारबाग,पटना को बिहार राजपत्र में अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। राजपत्र की 50 प्रतियाँ मानव संसाधन विकास विभाग को भी शीघ्र भेजने की कृपा करें।

ह0/-

(संजीव कुमार सिन्हा)

अपर आयुक्त-सह-सचिव

ज्ञापांक 14 / व 3-0133 / 99 मा0सं0 1736 दिनांक 15/10/07

प्रतिलिपि:- समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्यों /समिति के सचिव/निदेशक एवं कुलसचिव,ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/ निदेशक उच्च शिक्षा/ उपसचिव मानव संसाधन विकास विभाग/उप निदेशक श्री विजय कुमार हिमांशु, मानव संसाधन विकास विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी एवं कार्यपालक सहायक मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार सिन्हा)

अपर आयुक्त-सह-सचिव